न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 52/17 तारीख रजू:– 05.06.2017

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र गोरया जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम।
2. गीता पुत्री गोरया पत्नि रामप्रसाद निवासी महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र गोरया
2. शांन्ति पत्नि गोरया
   जातियान कीर निवासीयान महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. पप्पी पुत्री गोरया पत्नि हंसा जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा हालवासी चोर डूंगरी अखेपुरा के पास अलवर।
4. सीमा उर्फ सीमला पुत्री गोरया पत्नि गोपाल जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा आलवारी नौगॉव जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।
5. राधेश्याम पुत्र मोहनलाल
6. मुरारीलाल पुत्र मोहनलाल
7. घनश्याम पुत्र मोहनलाल
8. दुलारी पत्नि मोहनलाल
   समस्त जातियान कीर निवासीयान महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. कमला पुत्री मोहनलाल पत्नि पप्पू निवासी महेन्द्रवाडा हाल निवासी कसाई मौहल्ला गंगापुर सिंटी जिला सवाई माधोपुर।
10. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थिति:– श्री महेन्द्र शर्मा एडवोकेट (वादी)
श्री मदनमोहन शर्मा (प्रतिवादी)

निर्णय **दिनांक:– 30.09.2019**

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम महेन्द्रवाडा स्थित भूमि ख0न0 78/0.13, 79/0.12 कुल किता 2 कुल रकवा 0.25 है0 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खातेदार काश्तकार है। जिसमे वादी 1 व 2 का हिस्सा 1/12–1/12 कुल हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी न0 1 ता 4 का हिस्सा 2/3 तथा प्रतिवादी न0 5 ता 9 का हिस्सा 1/2 है वादी एवं प्रतिवादीगण के हक मे खातेदारी सम्मलित रूप से मौजूद है। वादीगण व प्रतिवादीगण मौक पर करीब 20 वर्ष से बाहमी बटवारा कर रखा है। मुताबिक बहामी बटवारा वादीगण मे हिस्से मे ख0न0 78/0.13 है प्रतिवादीगण न0 1ता 4 वादीगण के दूसरी मॉ के भाई बहिन व स्टेप मदर है तथा प्रतिवादीगण न0 5 ता 9 पारिवारिक सदस्य व सहखातेदार है। वादीगा न0 1 ता 2 की मॉ स्वर्गीय नत्थीदेवी का स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादी 2 शांति देवी का विवाह हुआ और प्रतिवादी न0 1,3,4, शान्ति देवी के पुत्र है सामाजिक रितीरिवाज प्रत्येक मॉ व उसके जन्मी सन्तान को एक की हिस्सा दिया जाता है। उस रिती रिवाज के अनुसार हम वादीगणो को ख0न0 87/0.13 काश्त हेतु प्रतिवादी न0 1 ता 4 बाहमी तौर पर बटवारे मे किया इसकी एवज मे हमारी शेष आराजी बाके ग्राम महेन्द्रवाडा मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 को दी गई जबकि प्रतिवादीगण 1 ता 9 का

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

आराजी ख0न0 87/0.13 है0 से कोई संबध नही वादीगण काबिज काश्त है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 लठैत व प्रभाव शाली व्यक्ति है। जिनका आराजी मुतजिका ख0न0 87 /0.13 से कोई संबध नही है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 ख0न0 78/0.13 है0 वादीगणो के हिस्से महरूम करने पर तुले हुए है। इसलिए सम्मिलित रूप से काश्त करना असंभव हो गया है। प्रतिवादीगण ने तहसील मे चलकर विधिवत बटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण एकदम नाराज हो गये। और धमकी दी कि ख0न0 78/0.13 पर काश्त नही करने देगे। और बेदखल करने की धमकी दी। इस कारण दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण 1 ता 9 प्राथमिक डिक्री फरमाकर वादीगणो के हिस्से 1/6 का अलग खाता कायम करने हेतु दावा प्राथमिक डिक्री कर राजस्व रिकार्ड मे अमल कराया जावे। तथा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 78/0.13 मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 5 ता 10 वावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की और से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि ख0न0 87/0.13 है0 वादीगण के हिस्से मे आया है तो प्रतिवादीगण को कोई गुरेज नही है। ख0न0 78 रकवा 0.13 है0 बाहमी बटवारे मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 के हिस्से मे आया है। मौका कमिश्नर नियुक्त फरमाकर नियुक्त कर उक्त वर्णित आराजीयात मे कब्जेअनुसार प्रतिवादीगण की भूमि का विधिवत बटवारा किया जावे।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनकर एवं बटवारा कराये जाने हेतु सहमति दर्ज कराये जाने पर पक्षकारान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार बटवारा स्कीम तलब करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया था। बटवारा स्कीम प्राप्त होने पर वकील उभयपक्षकारान ने बटवारा स्कीम का अवलोकन कर बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया। बहस पर मनन कर पत्रावली मे शामिल ग्राम महेन्द्रवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 151 का अवलोकन किया गया। तथा बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी बाबूलाल पुत्र गोरया जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा, गीता पुत्री गोरया पत्नि रामप्रसाद हि.ब. निवासी महेन्द्रवाडा हालवासी कैरवाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर को ग्राम महेन्द्रवाडा की भूमि ख0न0 79/1 रकवा 0.04 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी रामदयाल पुत्र गौरया, शान्ति पत्नि गौरया, पप्पी पुत्री गोरया, सीमा उर्फ सीमला पुत्री गौरया हि.ब. जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा को ख0न0 79 रकवा 0.08 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राधेश्याम, मुरारीलाल, घनश्याम पि0 मोहनलाल, दुलारी पत्नि मोहनलाल, कमला पुत्री मोहनलाल हि.ब. जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा को ख0न0 78 रकवा 0.13 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात मे मजाहमत मदाखलतन नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30/9/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र गोरया जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम।
2. गीता पुत्री गोरया पत्नि रामप्रसाद निवासी महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र गोरया
2. शान्ति पत्नि गोरया
   जातियान कीर निवासीयान महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. पप्पी पुत्री गोरया पत्नि हंसा जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा हालवासी चोर डूंगरी अखेपुरा के पास अलवर।
4. सीमा उर्फ सीमला पुत्री गोरया पत्नि गोपाल जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा आलवारी नौगॉव जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।
5. राधेश्याम पुत्र मोहनलाल
6. मुरारीलाल पुत्र मोहनलाल
7. घनश्याम पुत्र मोहनलाल
8. दुलारी पत्नि मोहनलाल
   समस्त जातियान कीर निवासीयान महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. कमला पुत्री मोहनलाल पत्नि पप्पू निवासी महेन्द्रवाडा हाल निवासी कसाई मौहल्ला गंगापुर सिंटी जिला सवाई माधोपुर।
10. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 52/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री महेन्द्र शर्मा एडवोकेट व मदन मोहन शर्मा मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी बाबूलाल पुत्र गोरया जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा, गीता पुत्री गोरया पत्नि रामप्रसाद हि.ब. निवासी महेन्द्रवाडा हालवासी कैरवाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर को ग्राम महेन्द्रवाडा की भूमि ख0न0 79/1 रकवा 0.04 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी रामदयाल पुत्र गौरया, शान्ति पत्नि गौरया, पप्पी पुत्री गोरया, सीमा उर्फ सीमला पुत्री गौरया हि.ब. जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा को ख0न0 79 रकवा 0.08 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राधेश्याम, मुरारीलाल, घनश्याम पि0 मोहनलाल, दुलारी पत्नि मोहनलाल, कमला पुत्री मोहनलाल हि.ब. जाति कीर निवासी महेन्द्रवाडा को ख0न0 78 रकवा 0.13 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात मे मजाहमत मदाखलतन नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा।

निज.................... मुबलिंग........................ बाबत...................... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.09.2019 को जारी की गई।

दस्तखत........................ उपजिला कलक्टर

ओहदा.......................... टोडाभीम (करौली)